जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक-25.04.2025

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूरा में हुई व्यक्ति की हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मोबाईल व नगदी बरामदः-

ज्ञात हो दिनांक 23.04.2025 को यासीन पुत्र अलीनवाज निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली की अभियुक्त नफीस पुत्र बन्दा निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी थी। उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, स्थानीय पुलिस व फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करते हुये, मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। घटना के सम्बन्ध में मृतक के भतीजे मुबारिक पुत्र ताहिर निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 25.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूरा में हुई व्यक्ति की हत्या में वांछित अभियुक्त नफीस पुत्र बन्दा निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से एक अदद मोबाईल फोन(कीपैड़) व नगदी बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन किया गया है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

घटना का उद्देश्यः- घटना के सम्बन्ध में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त नफीस ने बताया कि मैने अपने गाँव के यासीन पुत्र अलीनवाज से 02 लाख रुपये काफी दिन पहले उधार लिये थे। यासीन मुझसे बार–बार अपने उधार के पैसे मांगकर मुझे परेशान करता था। पैसे वापस न करने पड़े इसी उद्वेश्य से मैने अपने साथी विशाल पुत्र नवाब, नेत्रपाल पुत्र रामू, नितिन पुत्र देशपाल निवासीगण ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली को यासीन द्वारा बार–बार पैसे मागने की बात बताई। हम चारो ने यासीन को सबक सिखाने की योजना बनाई थी। योजनानुसार दिनांक 23/04/2025 को मै और मेरे साथी यासीन के घर पर समय करीब रात्रि एक सवा बजे पहुँचे तो गेट लगा हुआ था हम बहार से दुकानो के उपर चढकर अन्दर मकान में घुस गये यासीन ऊपर बरामदे में मच्छरदानी लगाकर लेटा हुआ था। हमारे आने की आहट से यासीन की आख खुल गयी मैने व मेरे साथियो ने यासीन से कहा कि जो तेरे पास है वो हमे दे दे यासीन विरोध करने लगा कि हम लोगो ने मिलकर यासीन को खाट पर ही गिरा लिया और मैने अपने हाथ से यासीन की गर्दन पकड कर जोर से दबा दी और उसके तहमद की फैट से 42,000/- रुपये निकाल लिये और तहमद को यासीन के गले से बाँध दिया तथा मच्छरदानी सहित यासीन को उपर से नीचे फेंक दिया। छीने गये सभी पैसे मैरे पास थे। मैने अपने तीनो साथियो से कहा था कि कुछ दिन बाद पैसो को बाट लेगे। छीने गये पैसो में से मैने 2000/- रुपये अपनी जरुरत में खर्च कर दिये थे शेष रकम में से 7,500/- रुपये आज मेरे पास से बरामद हुये है तथा शेष बचे तसव्वर पुत्र असगर निवासी ग्राम बीबीपुर हटिया

थाना कैराना जनपद शामली के पास रख दिये है। हम लोगो ने उधार के पैसे वापस न करने के उद्देश्य से एवं यासीन द्वारा बार-बार पैसो के लिये टोके जाने के कारण उसकी हत्या कर दी थी।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.नफीस पुत्र बन्दा निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.एक अदद की-पैड़ मोबाईल फोन।

2.नगदी 7,500/- रुपये।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त नफीस उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0 23/2016 धारा 356/411 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 40/2016 धारा 392/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 132/2016 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 134/2016 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 135/2016 धारा 414 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 223/2025 धारा 103(1)/351(2) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 296/2019 धारा 323/452/504/506 भादवि व 3(1)(द)(घ)/3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

8.मु0अ0सं0 306/2021 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

9.मु0अ0सं0 308/2021 धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

10.मु0अ0सं0 309/2021 धारा 414 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

11.मु0अ0सं0 389/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

12.मु0अ0सं0 469/2020 धारा 307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

13.मु0अ0सं0 470/2020 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

14.मु0अ0सं0 472/2020 धारा 272/273 भादवि 60 आबकारी अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

15.मु0अ0सं0 474/2020 धारा 414 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

16.मु0अ0सं0 456/2017 धारा 302/394/511 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

17.मु0अ0सं0 473/2017 धारा 307 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

18.मु0अ0सं0 475/2017 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 25.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.दानिश पुत्र आस मौहम्मद निवासी मौहल्ला शाह विलायत थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध चाकू।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 25.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.शीशपाल पुत्र रणजीत निवासी मौहल्ला शाह विलायत थाना थानाभवन जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते दहेज हत्या के मामले में 04 अभियुक्तो को माननीय न्यायालय शामली द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 60,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2018 में अभियुक्तगण 1.मेघराज पुत्र नैन सिंह 2.दीपक पुत्र नैन सिंह 3.श्रीमती ललिता पत्नी नैन सिंह 4.नैन सिंह पुत्र ओमी शंकर निवासीगण ग्राम मनट मन्टी थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा दहेज की मांग को लेकर अक्षमाला पुत्री धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम पमनावली थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर की हत्या कर दी गयी थी । जिसके सम्बन्ध मु0अ0सं0 302/2018 धारा 304बी/498ए भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना थानाभवन पर पंजीकृत किया गया था। इस मामले में थानाभवन पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में आज दिनांक 25.04.2025 को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा दहेज हत्या के मामले में अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए धारा 304बी भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 498ए भादवि में 03-03 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10,000-10,000/- रुपये अर्थदण्ड व धारा 4 दहेज अधिनियम में 02-02 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000-5,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त/अभियुक्ताः-

1.मेघराज पुत्र नैन सिंह निवासी ग्राम मनट मन्टी थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.दीपक पुत्र नैन सिंह निवासी ग्राम मनट मन्टी थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.श्रीमती ललिता पत्नी नैन सिंह निवासी ग्राम मनट मन्टी थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.नैन सिंह पुत्र ओमी शंकर निवासी ग्राम मनट मन्टी थाना थानाभवन जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में महामारी अधिनियम के 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2020 में अभियुक्त तैय्यब पुत्र जीरा निवासी ग्राम बराला थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 492/2020 धारा 505(2) भादवि व 3 महामारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 25.04.2025 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त तैय्यब उपरोक्त को धारा 505 (2) भादवि में 5000/- रुपये अर्थदण्ड व धारा 3 महामारी अधिनियम में 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI